विकास आयुक्त कार्यालय
मध्य प्रदेश

कमांक 7064/SRLM/2016 भोपाल, दिनांक 20.12.2016

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषयः—नकद रहित संव्यवहार को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण।

मध्यप्रदेश में नकद रहित संव्यवहार को बढ़ावा देने के लिए निम्नानुसार प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाने हैं:—

स्तर	दिनांक	भागीदारी
राज्य स्तर	24	संभाग भोपाल, नर्मदापुरम, इन्दौर, सागर एवं जबलपुर के प्रत्येक जिले के 3 अधिकारी
	26	संभाग चंबल,ग्वालियर, उज्जैन, शहडोल एवं रीवा के प्रत्येक जिले के 3 अधिकारी।
जिला स्तर	31 दिसम्बर के पूर्व	विकास खण्ड स्तर के 2 अधिकारी प्रति विकासखण्ड
विकासखण्ड स्तर	10 जनवरी तक	ग्राम पंचायत स्तर के 2 अधिकारी प्रतिग्राम पंचायत
ग्राम पंचायत स्तर	20 जनवरी तक	ग्राम सभा, पंचायती राज सदस्य एवं स्थानीय ग्रामीण।

2/ उक्त प्रशिक्षण बैंकों के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किए जाएंगे। राज्य स्तर का प्रशिक्षण भोपाल स्थित सेन्ट्रल बैंक के प्रशिक्षण संस्थान में किया जाएगा। जिला स्तर का प्रशिक्षण कलेक्ट्रेट में जिले के लीड बैंक अधिकारी के सहयोग से किया जाएगा। विकासखण्ड स्तर का प्रशिक्षण जनपद पंचायत। विकासखण्ड मुख्यालय में जिले के लीड बैंक अधिकारी व्दारा मनोनीत बैंक अधिकारी के सहयोग से जिला स्तर पर प्रशिक्षित अधिकारियों व्दारा किया जाएगा।

3/ प्रशिक्षण के दौरान नकद रहित संव्यवहार के विभिन्न तौर तरीकों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही इनका demonstration देते हुए प्रशिक्षण में भाग लेने वाले अधिकारियों/व्यक्तियों से नकद रहित संव्यवहार प्रशिक्षण के दौरान सम्पन्न कराए जाएंगे।

4/ राज्य स्तर से प्रशिक्षण के लिए कृपया आपके जिले से दो अधिकारी नामांकित कर उन्हें अनिवार्यतः संलग्न पत्रक में दर्शाई तैयारी के साथ भोपाल में प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए निर्देशित करने का कष्ट करें। यह अपेक्षा है कि इनमें से एक महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का कार्य देखने वाला जिला स्तर का अधिकारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को छोड़कर) एवं दूसरा आजीविका मिशन का जिला प्रबंधक होगा। जिन जिलों में आजीविका मिशन का जिला प्रबंधक नहीं है उनमें किसी एक योग्य अधिकारी को नामांकित कर निर्देशित करें। तीसरा अधिकारी जिले का लीड बैंक अधिकारी होगा जिन्हें राज्य लीड बैंक अधिकारी व्दारा भी निर्देशित किया जा रहा है।

5/ विषयान्तर्गत कल दिनांक 21 दिसम्बर 2016 को अपरान्ह 3 से 4 बजे मुख्यसचिव कलेक्टरों एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की वीडियो कांफ्रेस लेंगे।

20.12.16.

(राधेश्याम जुलानिया)
विकास आयुक्त एवं
अपर मुख्य सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास

पृ. कमांक 7065/2016/SRLM भोपाल दिनांक 20.12.2016

प्रतिलिपिः

1. संभागायुक्त (समस्त), मध्यप्रदेश।

2. कन्वीनर, एस.एल.बी.सी. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित। कृपया उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यकम हेतु उपयुक्त रिसोर्स पर्सन का नामांकित करने का अनुरोध है।

विकास आयुक्त एवं
अपर मुख्य सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास